

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

Telephone No. 07752-223271, Fax No. 07752-251008, E-mail ID -bilaspur.court@nic.in

—:: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ::—

क्रमांक-2308/चयन समिति/2023

बिलासपुर, दिनांक २५ जून, 2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 29-06-2023 प्रातः 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 13-07-2023 शामः 05:00 बजे तक


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

01. रिक्त पदों का विवरण

क.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												मुक्त/अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	08	01				03				01				03			
			1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—
2	स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी)	07	01				02				01				03			
			1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—
3	सहायक ग्रेड तीन	68	11				15				10				32			
			7	3	1	—	9	4	1	1	6	3	1	—	18	9	3	2

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रिमिलेयर नहीं होना चाहिए।
- महिलाओं को नियमानुसार होरिजोन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जावेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरे जा सकेंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के रूप में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।



6. पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती तथा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन *SLP (C) No. 19668/2022* द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

02. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए :-

- अ. छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-07, वेतनमान 28700-91300
- ब. शैक्षणिक योग्यता-
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
 3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
 4. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

(2) स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) पद के लिए :-

- अ. छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-04, वेतनमान 19500-62000
- ब. शैक्षणिक योग्यता-
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
 3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
 4. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

(3) सहायक ग्रेड-तीन पद के लिए :-

अ. छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-04, वेतनमान 19500-62000

ब. शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
3. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

टीप :- 06 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, उस संवर्ग से अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष/महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

03. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(अ) समस्त भारतीय नागरिक आवेदन हेतु पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ0ग0 राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के पद बाबत अभ्यर्थियों की आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में मान्य किया जावेगा।

(ब) अन्य शर्तें :-


- (1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)

- (2) छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश-21/2020 के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जावेगा तथा परिवीक्षा अवधि में उन्हें निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष	-	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष	-	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष	-	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

- (3) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त की जाकर वैधानिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- (4) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) कोई अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो और कोई अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (7) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी नैतिक अधमता (*Moral Turpitude*) हेतु दोषी ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (9) कोई भी अभ्यर्थी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है, तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है, तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (10) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
- (11) अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए सेवा के लिए



अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचरण के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (12) ऐसी अभ्यर्थी जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

04. उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

4(एक)(1):- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

4(एक)(2):- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ. प्र. दिनांक 20-01-1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

4(एक)(3):- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4(एक)(4):- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4(एक)(5):- ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4(एक)(6):- छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4(एक)(7):— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4(एक)(8):— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4(एक)(9):— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4(दो)(1):— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।


4(दो)(2):— विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो)(3):— उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6-10/2004/1-9 दिनांक 06-07-2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमामें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक 4(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी।




अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी कोई छूट, आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

05. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किये जावेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 13-07-2023 की संध्या 05:00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन (जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाले जा सकेंगे।
- (2) पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ई-मेल, फ़ैक्स, कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त/प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (3) **दिनांक 13-07-2023** की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (4) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायांप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (5) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालयीन वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग, डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
- (7) आवेदन पत्र में आवेदक का स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना चाहिये तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायांप्रति संलग्न करें।
- (8) आवेदन पत्र पर जहां पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (9) आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें।
- (10) आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेंगे, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।



- (11) आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की मूलभूत त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (12) प्राप्त आवेदन पत्रों की चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> तथा जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।
- (13) दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् पात्र आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

06. नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के पदों पर चयन हेतु एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जावेगी।
2. यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु पृथक पृथक एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किये जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किये गये, अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिये जायेंगे।
3. अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर की कार्यालयीन वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से प्रदान की जावेगी। परीक्षा की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित नहीं की जावेगी, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

प्रथम चरण:- प्रारंभिक परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं कम्प्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 01 घंटे की होगी, प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर 01 पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा, किन्तु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जायेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व जिला न्यायालय, बिलासपुर के कार्यालयीन वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।



द्वितीय चरण:- कौशल परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कौशल परीक्षा बाबत योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा:-

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद हेतु :-

(अ) कौशल परीक्षा :-

अभ्यर्थियों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकेण्ड का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ0एस0/एम0एस0 वर्ड, कृति देव में ली जावेगी।

2. स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) पद हेतु :-

(अ) कौशल परीक्षा :-

अभ्यर्थियों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकेण्ड का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ0एस0/एम0एस0 वर्ड, कृति देव में ली जावेगी।

3. सहायक ग्रेड-तीन पद हेतु :-

(अ) कौशल परीक्षा :-

अभ्यर्थियों को 250 शब्द का गद्यांश टाईप करने हेतु प्रदान किया जावेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ0एस0/एम0एस0 वर्ड, कृति देव में ली जावेगी।

07. चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
2. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन




सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) तैयार की जावेगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों के अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो उपरोक्त सूची के प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0) को होगा।
4. कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
5. कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्मतिथि होने की दशा में संबंधित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात् स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड—तीन हेतु स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर वरीयता दी जावेगी, जिस अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्रतिशत अर्जित किये गये हों, उसे वरीयता दी जावेगी।

08. महत्वपूर्ण निर्देश

1. सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक—1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23-08-2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-06-2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।




8. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।
9. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी दावेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
10. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
11. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
13. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
14. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
15. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में, कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थान—बिलासपुर,

दिनांक 28/06/2023


अध्यक्ष, 28/06/2023

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छोगो)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :
छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति
/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ :
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :
क्रमांक एवं दिनांक
15. रोजगार कार्यालय का नाम :
16. क्या आप विवाहित है ? हां/नहीं :
17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :
18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

कं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे)
20. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –
टीप :- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र
3. स्नातक प्रमाण पत्र
4. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र
5. हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र
6. कम्प्युटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
7. छ0ग0 मूल निवास प्रमाण पत्र
8. छ0ग0 स्थायी जाति प्रमाण पत्र
9. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
10. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र
11. अनापत्ति प्रमाण पत्र
12. अन्य

--:: घोषणा पत्र ::--

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी दावेदारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)